



भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



संख्या: एफ.पी/बी.आर./अदरस/117859/2020(Pt.)/1470

दिनांक: 04.10.2023

सेवा में,

प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार सरकार, सिंचाई भवन
पटना - 800015.

विषय :- श्री राजेश कुमार द्वारा खगड़िया जिलान्तर्गत भदास मौजा के खाता संख्या - 1008, खेसरा संख्या - 3586, थाना - अलौली में चातर चौक-संतोष ब्रिज पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.024 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक आपका पत्र संख्या-वन भूमि-48/2022-704(ई)/प०व०ज०प० दिनांक 15.09.2022 और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), बिहार के के पत्र संख्या व०सं०/04/2021-631 दिनांक 04.09.2023 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि विषयान्तर्गत वर्णित परियोजना प्रस्ताव को अग्रेतर विचारार्थ क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC), क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के 67 वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), भारत सरकार के पूर्वानुमति के ही प्रस्तावित वनभूमि पर कार्य प्रारंभ किया गया है जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है। समीक्षोपरान्त समिति ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी चाही है एवं उसके सापेक्ष दस्तावेजों को प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में अपलोड कराने की आवश्यकता निर्धारित की है :

- I. प्रासंगिक अधिनियमों के उल्लंघन के विरुद्ध की गई अब तक की न्यायिक कारवाई का पूर्ण विवरण।
- II. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के दोषी प्राधिकारियों पर इसकी धारा 3A एवं 3B अनुसार कारवाई हेतु अनुशंसा प्रतिवेदन।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित किया जाय।

विश्वासभाजन
Signed by Shashi Shankar
Pathak
Date: 04-10-2023 (21:08:25)
Reason: Approved

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह - नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, अरण्य भवन, शहीद पीर अलीखां मार्ग, पटना-800014.